नम्बर मुकदमा 04/2021
अनवान ओमप्रकाश बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 18जीजी

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् प्रदेन् सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

ीठासीन अधि[illegible] — मनोज कुमार मी[illegible] आर.ए.एस.

नवान :— विविध प्रकारण संख्या 04/2[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:05 IST
Reason: SelfAttested

औमप्रकाश पुत्र श्री जीराम उर्फ जीराज राम जाति जाट सा0 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

— — अपीलान्ट

—:: बनाम ::—

1. सरपंच, ग्राम पंचायत 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रभ्गंगानगर
2. संजय कुमार पुत्र श्री भीमसेन पुत्र श्री राजा राम जाति जाट सा0 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. सलविन्द्र कुमार पुत्र श्री भीमसेन जाति जाट सा0 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. सावित्री पत्नी श्री भीमसेन जाति जाट सा0 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
5. मंजू पुत्री श्री भीमसेन पत्नी श्री सुशील जाति जाट सा0 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) हाल निवासी जोडकियां तहसील व जिला हनुमानगढ़
6. शर्मिला पुत्री श्री भीमसेन पत्नी मनोहर जाति जाट सा0 18 जी जी गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) हाल निवासी जोडकियां तहसील व जिला हनुमानगढ़

— — रेस्पोडेन्ट्स

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1.	श्री संजय जनवेजा	— —	अपीलार्थी
2.	श्री विक्रम बिश्नोई	— —	रेस्पोडेन्ट्स 2 ता 6

—:: आदेश ::—

दिनांक :—19.07.2022

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चुनी राम पि.मु. इमी चन्द जाति जाट साकिन 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से वाके चक 13 एच एच तहसील । जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 में कृषि भूमि थी। चुनी राम द्वारा

बेचान की थी। उक्त बैयनामा कार्यालय उप पंजीयक श्रीगंगानगर में विधिपूर्वक पंजीबद्धशुदा है। नकल बैयनामा संलग्न अपील है। इस प्रकार रामचन्द पुत्र रावत राम उक्त 6 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा का स्वामी बन गया तथा चुनी राम पुत्र इमी चन्द का उक्त भूमि पर कोई अधिपत्य नहीं रहा। इसके पश्चात दिनांक 29.05.1970 को अपीलाण्ट औमप्रकाश व अपीलाण्ट के भाई अमी लाल ने रामचन्द पुत्र श्री रावत राम से जरिये बैयनामा उसकी अन्य भूमि वाके चक 13 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 4 से 9, 15, 16, 25 (प्रत्येक बीघा सालम) कुल 6 बीघा भूमि व रामचन्द्र द्वारा चुनी लाल से खरीद की गई उक्त किला नम्बर 1 में से 1 बिस्वा, किला नम्बर 2 में से 1 बिस्वा व किला नम्बर 3 में से 1 बिस्वा यानि 3 बिस्वा इस प्रकार कुल 6–03 बीघा खरीद की। उक्त बैयनामा इस भूमि के पूर्व स्वामी रामचन्द ने कार्यालय उप पंजीयक श्रीगंगानगर में उपस्थित होकर अपीलाप्ट न अपीलाण्ट के भाई के हक में दिनांक 29.05.1970 को विधिपूर्वक निष्पादित व पंजीकृत करवाया। नकल बैयनामा संलग्न अपील है। बैनामा की तारीख से आज तक उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर अपीलाण्ट की फसल खड़ी है। रकबा खरीद करने पश्चात अपीलाण्ट द्वारा उक्त रकबा का इन्तकाल स्वंय के नाम से करवाने के लिए बैयनामा की प्रतिलिपि पटवारी हल्का दे दी गई। मगर उक्त रकबा का क्षेत्रफल कम होने के कारण, कानूनन अड़चन आने के कारण उक्त मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 व 2 की 1–1 बिस्वा भूमि का इन्तकाल अपीलाण्ट वगैरा के नाम से दर्ज नहीं हो पाया। उक्त बेचान के 19 वर्ष पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के मृतक पिता भीमसेन पुत्र श्री राजा राम जाति जाट सा0 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर चुनीराम पुत्र श्री श्री इमी चन्द से उसकी भूमि खरीद करने सौदा कर कर लिया तथा चुनी राम पुत्र श्री इमी चन्द से उसकी अन्य भूमि के साथ साथ पूर्व में अपीलाण्ट वगैरा को बेचान की हुई रक्त मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 व 2 की 1–1 बिस्वा भूमि का बैयनामा भी स्वंय के हक में निष्पादित करवा लिया। जबकि उक्त रकबा एक बार पहले से ही बेचान किया होने के कारण ना तो चुनी राम पुत्र श्री इमी चन्द को ना तो उक्त रकबा पर कोई अधिपत्य प्राप्त था तथा ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के मृतक पिता भीमसेन को उक्त बैयनामा करवाने और करने का अधिकार था। मगर उन्होने जानबूझकर एवं अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से उक्त विधिविरूद्ध कृत्य किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी विधि के प्रावधानों की परवाह न करते हुए उनके के साथ सांठगांठ कर प्रश्नगत भूमि का इन्तकाल संख्या 63 दिनांक 20.07.1990 को बिना अधिकार के व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना तस्दीक कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, जो निम्न लिखित बिन्दुओ के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है: 1 यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफे कानून व रूहादादे मिसल है, जो कि काबिले निरस्ती है। नकल इंतकाल सलग्न है। अपीलाण्ट औमप्रकाश व अपीलाण्ट के भाई अमी लाल ने रामचन्द पुत्र श्री रावत राम से उक्त पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर, खरीद कर ली। बैयनामा की तारीख से आज तक उक्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर अपीलाण्ट की फसल खड़ी है। भीमसेन, चुनी राम व रामचन्द्र आपस में अच्छे जानकार तथा पड़ोसी थे। उन्हे उक्त प्रकरण की पूरी जानकारी थी कि उक्त मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 व 2 की 1–1 बिस्वा भूमि बेचान की हुई है, मगर इन्तकाल क्रेतागण के नाम से दर्ज नहीं हुआ है और उक्त मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 व 2 की 1–1 बिस्वा भूमि पर चुनी राम को कोई आधिपत्य प्राप्त नहीं है, लेकिन कानूनी अड़चन के चलते इन्तकाल न होने के कारण रकबा अभी चुनी राम के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। इसके बावजद

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:05 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:05 IST
Reason: SelfAttested

के साथ साथ पूर्व में अपीलांट वगैरा को बे[illegible] की हुई उक्त मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 व 2 की 1—1 बिस्वा भूमि [illegible] में निष्पादित करवा लिया। तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी विधि के [illegible] की परवाह [illegible] करते हुए सांठगांठ कर प्रश्नगत भूमि का इन्तकाल संख्या 63 दिनांक 20.07.1990 को बिना अधिकार के व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए [illegible] पं० ने बिना कोई जांच पड़ताल किए और बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकतरफा तौर पर उक्त इन्तकाल स्वीकृत किया है, इसलिए उक्त इन्तकाल निरस्त होने योग्य है। उक्त रकबा एक बार पहले से ही बेचान किया होने के कारण ना तो चुनी लाल को ना तो उक्त रकबा पर कोई अधिपत्य प्राप्त था तथा ना ही भीमसेन को उक्त बैयनामा करवाने और करने का अधिकार था। मगर उन्होने जानबूझकर एवं अवैध लाभ कमाने के उद्देश्य से उक्त विधिविरूद्ध कृत्य किया है। जिसका अपीलाधीन इन्तकाल विधि विरूद्ध एवं बिना अधिकार के होने के कारण निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6, भीमसेन पुत्र राजा राम के विधिक वारिसान है तथा भीमसेन की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हैं तथा वह उक्त इन्तकाल के आधार पर अब विवादग्रस्त भूमि को आगामी रहन, बैय व दीगर तरीके से मुन्तकिल करने पर उतारू हैं, यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 उक्त रकबा को किसी अन्य को रहन बैय अथवा दीगर हस्तातंरण करने में कामयाब हो गये तो अपीलाण्ट को ना पूरा होने वाला नुक्सान होगा। इसलिए अपीलाण्ट ताफैसला अपील इस अमर की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 इन्तकाल संख्या 63 के आधार पर विवादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से रहन, बैय या दीगर तरीके से हस्तातंरण करने से बाज व ममनू रहें। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल की जानकारी 7 जनवरी 2021 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई, इसके पश्चात अपीलाण्ट दस्तावेज एकत्र करने की कार्यवाही करने में लगा रहा, इसलिए माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हो गया। अपीलाण्ट ने जानबूझकर कोई देरी नहीं की है तथा जो देरी हुई है, वह कण्डोन योग्य है। वैसे भी विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी अनुचित एवं क्षेत्राधिकार से बाहर स्वीकृत इन्तकाल के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में समयावधि बाधित नहीं हो सकती। फिर भी कानूनी पेचिदिगियों से बचने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न अपील है। अपील श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार की है, तथा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अन्य तथ्य दौराने वहस अर्ज किए जावेगें। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे तथा इन्तकाल संख्या 63 दिनांक 20.07.1990 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन तलब कर रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार अपीलांट ने आदेश जेर इंतकाल सं. 63 दिनांक 20—07—1990 के विरूद्ध उक्त अनवानी अपील प्रस्तुत की है। इंतकाल सं. 63 में अपीलांट पक्षकार नहीं था विधि अनुसार आदेश व डिक्री के पक्षकार ही अपील प्रस्तुत कर सकते है अन्य व्यक्ति माननीय न्यायालय की अनुमति से ही अपील प्रस्तुत कर सकता है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था और अपीलांट ने उक्त अनवानी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु कोई आवेदन पत्र भी अपील के साथ माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया है और न अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की है। माननीय न्यायालय ने भी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसी सूरत में अपीलांट ने बिना अनुमति उक्त अपील पेश की है जो खारिज होने योग्य है। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 63 से भूमि अकेले भीमसैन को नहीं मिली और भूमि भूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:05 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार ... अनवानी अपील श्रीमान् न्यायालय में पेश की जाना स्वीकार है परन्तु अपील के स्वीकार होने की कोई संभावना नहीं है। अपील खारिज होने योग्य है। अपीलाधीन इंतकाल. 63 दिनांक 20–07–1990 की जानकारी अपीलांट को इंतकाल स्वीकृति दिनांक से ही थी। पूर्व में मुरब्बा नं. 34 ... अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 6 के पिता व पति भीमसैन की संयुक्त थी और अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता इस भूमि का आपसी सहमति से दिनांक 22–08–2001 को विभाजन करवाया था और इस विभाजन का इंतकाल सं. 123 दिनांक 03–09–2001 को स्वीकृत किया गया था और इस प्रकार अपीलांट को अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी दिनांक 20–07–1990 व 03–09–2001 को पूर्ण रूप से हो गयी थी इसके अलावा अपीलांट स्वयं ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र अनवानी ओमप्रकाश बनाम भीमसैन, अन्तर्गत धारा 8(2) दिनांक 08–02–1994 को पेश किया था और इस प्रार्थना पत्र में अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के हक में इंतकाल होना स्वीकार किया है। इस प्रार्थना पत्र का निर्णय श्रीमान जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 19–07–1996 को कर दिया था इससे अपीलांट को अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र व आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। अपील मियाद बाहर है जो खारिज होने योग्य है। इस पैरा में अपीलांट को अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी दिनांक 07–01–2021 को पटवारी हल्का से होने का तथ्य गलत दर्ज किया है। पटवारी हल्का का कोई शपथ पत्र अपीलांट ने पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र व अपील खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि चुन्नीराम द्वारा रामचन्द्र व हेतराम को दिनांक 11.06.1969 को कुल 6 बिस्वा बेचान किया था। रामचन्द्र के हिस्से की 3 बिस्वा जमीन अपीलान्ट ओमप्रकाश व अमीलाल को दिनांक 19.05.1970 को बेचान कर दी थी। कम जमीन होने के कारण इन्ताकल नहीं हुआ इसलिए चुन्नीराम ने दोबारा यही जमीन 1989 में बेच दी जिसका इंतकाल 63 दिनांक 20.07.1990 बिना अधिकार के दर्ज किया गया। जमीन पहले बचे दी थी जिसे दोबारा बचेने का अधिकार नहीं था। इस कारण अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर इन्काल सं. 63 दिनांक 20.07.1990 निरस्त किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– **DNJ- 2010(2) PAGE NO. 527** पेश किया। वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा जवाब बहस में कथन किए कि अपीलान्ट इन्तकाल में पक्षकार नहीं नहीं था तो उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था अपनी प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी चाहिए थी। अपीलान्ट द्वारा सिफ भीमसेन के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है भूप सिंह के वारिसान को नहीं। चुन्नीराम ने अपीलान्ट को भूमि नहीं बची थी। भूमि सेलडीड से सेलडीड है। अपीलान्ट द्वारा बाद के इन्तकाल को चुनौती नहीं दी गई है। अपील मियाद बाहर होने से अपील खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त – **RRD- 1993(2) PAGE NO. 44** पेश किया।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बैयनामा दिनांक 11.06.1969 से प्रथम दृष्टया साबित है कि चुन्नीराम द्वारा द्वारा रामचन्द्र व हेतराम को दिनांक 11.06.1969 को कुल 6 बिस्वा बेचान

[illegible] रामचन्द पुत्र श्री रावत राम से जरिये बैयनामा उसकी अन्य भूमि वाके चक 13 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 4 से 9, 15, 16, 25 (प्रत्येक बीघा सालम) कुल 6 बीघा भूमि [illegible] रामचन्द्र द्वारा [illegible] लाल से खरीद की गई उक्त किला नम्बर 1 में से 1 बिस्वा किला [illegible] र 2 [illegible] से 1 बिस्वा व किला नम्बर 3 मे से 1 बिस्वा यानि 3 बिस्वा इस प्रकार कुल 6.03 [illegible] राम द्वारा उक्त भूमि को जरिए बैयनामा दिनांक 07.11.1989 के श्री भीमसैन पुत्र श्री राजाराम को बैचान किया गया। चुनीराम को पंजीकृत बैयनामा दिनांकित 11.06.1969 को बैचान की गई भूमि को पुनः दिनांक 07.11.1989 को बैचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। पंजीकृत बैयनामा दिनांकित 11.06.1969 में विक्रय की गई भूमि को बाद में हुए बैयनामा 07.11.89 के आधार पर जो इंतकाल दर्ज किया गया वह गलत एवं निरस्तनीय है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त– **DNJ 2010(2) PAGE NO-527** के अनुसार **"Registered sale-deed prior in time will prevail over the subsequent registered sale-deed for the same property and no right or title aecrue on the basis of subsequent registered sale-deed."**

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 63 दिनांक 20.07.1990 निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को वास्ते अग्रिम कार्यवाही प्रेषित हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19.07.2022 को जारी [illegible]या जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(मनोज कुमार मीना) (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.08.26 12:14:05 IST
Reason: SelfAttested